President
Emergency Powers

संविधान के 18वें भाग में भारतीय संघ के राष्ट्रपति के संकटकालीन
अधिकारों की व्यवस्था की गई है।
- Art - 352 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध
अथवा बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशान्ति के कारण भारत या भारत के
किसी भाग की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है तो वह आपात की उद्घोषणा कर
सकता है।
- ऐसी ~~उद्घोषण~~ उद्घोषणा इन संकटों की सम्भावना होने पर भी की जा सकती है
→ राष्ट्रपति के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- दूसरी उद्घोषणा द्वारा आपात की घोषणा का अन्त किया जा सकता है।
- आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों में रखी जायेगी तथा एक
माह तक लागू रहेगी।
- यदि एक माह की अवधि के अन्तर्गत ही इस पर संसद के दोनों सदनों
की ~~स्वी~~ स्वीकृति मिल जाती है तो वह तबतक बनी रहेगी जब तक की उसे
दूसरी उद्घोषणा द्वारा समाप्त ना किया जाए।
- यदि आपात की यह उद्घोषणा ऐसी स्थिति में की गई है जब लोकसभा
भंग हो गई हो तो उद्घोषणा राज्यसभा में पेश की जायेगी।
राज्यसभा की स्वीकृति पाकर आपात की वह अवधि तबतक लागू रहेगी
जब तक नई लोकसभा नहीं बन जाती और उसकी प्रथम बैठक प्रारम्भ हुए
30 दिन ना बीत गए हों। इस 30 दिन की अवधि में ~~इसे~~ लोकसभा के
समक्ष रखा जाना चाहिए। यदि लोकसभा भी इस पर अपनी अनुमति
प्रदान कर दे तो आपातकालीन अवधि आगे के लिए भी लागू समझी जायेगी।
उद्घोषणा का संवैधानिक प्रभाव :- संविधान की धारा 353, 355 में आपातक
- तीन उद्घोषणा के प्रभावों का उल्लेख मिलता है।
- संघीय कार्यपालिका को यह अधिकार ~~है~~ प्राप्त हो जाता है कि वह विभिन्न
राज्यों की कार्यपालिका को यह निर्देश दे सकता है कि उन्हें किस प्रकार
अपनी शक्ति का प्रयोग करना है।
- भारतीय संसद को सम्पूर्ण देश या उसके किसी भाग के लिए राज्यसूची में
आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा। ऐसे कानून उद्घोषणा
के 6 माह बाद प्रभावी नहीं रहेगा। लेकिन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा
स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे कानून आपातस्थिति के बाद भी तबतक
लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें उपयुक्त विधानमण्डल या अधिकारी द्वारा
समाप्त या बदला ना दिया जाता।
- राज्य विधानमण्डलों द्वारा निर्मित कोई भी कानून संसद द्वारा निर्मित
किसी कानून का विरोधी हो तो वह विरोध की सीमा तक अमान्य होगा।
- यदि संसद बैठक में ना हो तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्य
- सूची के विषयों में भी अध्यादेश जारी कर सकता है।
- संसद विधि द्वारा अपना कार्यकाल एक बार में एकवर्ष तक के लिए
बढ़ा सकती है। लेकिन उद्घोषणा के समाप्त हो जाने के बाद संसद की बढ़ी हुई
अवधि 6 माह से अधिक कायम नहीं रह सकती।
- राष्ट्रपति उद्घोषणा काल के दौरान संघ और राज्यों के बीच आय-
- वितरण सम्बन्धी नियम स्थगित कर सकेगा तथा आवश्यकतानुसार
Art. 268 से 279 तक वर्णित राजस्व वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन कर
सकेगा।

- Art 19 में वर्णित नागरिकों की स्वतंत्रताएँ स्थगित हो जायेंगी और राज्य द्वारा इन ~~स्वतंत्रताओं~~ की स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित या स्थगित करनेवाले कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा।
- राष्ट्रपति आपात के दौरान संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को स्थगित कर सकता है। लेकिन ऐसे आदेशों को शीघ्र ही संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। चूंकि संविधान के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है, अतः यह राष्ट्रपति निश्चित करता है कि आदेश को किस समय संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए।
- Art 352 के अन्तर्गत अभी तक बार संकटकाल की उद्घोषणा की गई है।
- पहला 1962, 1971, 1975 को आन्तरिक सुरक्षा के नाम पर।
- राज्यों में संवैधानिक तन्त्र के असफल होने से उत्पन्न संकट : Art 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य की रक्षा बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह से हो।
- Art 356 के अनुसार, यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा या अन्य किसी प्रकार से यह विश्वास हो जाये कि किसी राज्य का शासन संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार नहीं चल रहा है कि तो आपात की उद्घोषणा हो सकती है।

42 वें संशोधन द्वारा सीमित आपात की व्यवस्था अर्थात राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर सम्पूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपात उद्घोषणा कर सकता है।

- <u>प्रभाव</u> :- राष्ट्रपति राज्य सरकार के किसी भी पदाधिकारी कार्यकारिणी शक्तियों को राज्यपाल को हस्तान्तरित कर सकता है
- राष्ट्रपति यह उद्घोषणा कर सकता है कि किसी राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग संसद करेगा।
- राष्ट्रपति उद्घोषणा से सम्बन्धित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में ले सकता।
- यदि लोकसभा की बैठक नहीं हो रही हो तो उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है।
- वित्तीय संकट :- Art - 360 के अन्तर्गत कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत में या उसके किसी भाग में आर्थिक दृढ़ता तथा साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की उद्घोषणा कर सकता है। दूसरी उद्घोषणा द्वारा पहली उद्घोषणा को समाप्त कर सकता है।
- इस उद्घोषणा की स्वीकृति दो माह के अन्दर संसद के दोनों सदनों द्वारा आवश्यक है, अन्यथा यह उद्घोषणा इसके बाद समाप्त हो जायेगा।

यदि दो माह के पूर्व या इसके अन्दर ही लोकसभा विघटित हो गई तो राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। इसके बाद नई लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिनों के अन्दर उस पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है। यदि लोकसभा की स्वीकृति नहीं मिलती है तो यह उद्घोषणा समाप्त हो जाती है।

— इस दौरान संघ सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक आर्थिक निर्देश देगा।

- S.C. एवं H.C. के न्यायाधीशों सहित संघ तथा राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के वेतनों में आवश्यक कटौती की जा सकती है।

- वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रक्षित किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति केन्द्र तथा राज्यों के धन ~~सम्बन्धित~~ सम्बंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है।
अभी तक भारत में इस आशय की उद्घोषणा नहीं की गई है।
- 42 वां संशोधन एवं आपातकाल - 42 वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह देश के किसी एक हिस्से या भाग में अथवा समस्त देश में आपात की उद्घोषणा कर सकता है।
- इसके द्वारा Art. 356(5) में संशोधन किया गया। यह धारा किसी भी राज्य तथा राज्यों में संवैधानिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने से सम्बद्ध है। किसी भी राज्य में संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह तक लागू रह सकता है तथा उसके पश्चात पुनः संसद की स्वीकृति पाकर अगले 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिक से अधिक यह अवधि 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है।
- लेकिन 42 वां संशोधन यह व्यवस्था करता है कि संसद की स्वीकृति पाकर राष्ट्रपति शासन आपातस्थिति की घोषणा की तिथि से 1 वर्ष तक लागू रहेगा और पुनः संसद की स्वीकृति से 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकती।
44 वां संशोधन तथा आपातकाल - मंत्रिपरिषद आपातकाल लागू करने ~~करने~~ की सिफारिश प्रधानमंत्री को लिखित रूप में भेजेगी।
- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है हालांकि दोबारा भेजी गई राय पर अमल करना ही होगा।
सरकार को Art 359 के अधीन Art. 20 एवं 21 को स्थगित करने का अधिकार नहीं होगा।
कोई भी नागरिक सरकार की नीयत के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है।
- आपात की घोषणा 30 दिन के अन्दर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित करानी होगी। जो प्रक्रिया संविधान संशोधन पर लागू होगा वही प्रक्रिया अनुमोदन पर भी लागू होगा।
- संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार ~~कर~~ रद्द नहीं किया जा सकेगा।